रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 495] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 18, 1972/कार्तिक 27, 1894

No. 495] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 1972/KARTIKA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November 1972

S.O. 715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Fourth Amendment) Scheme, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the said Scheme), in clause 3, for the Explanation to sub-clause (g), the following Explanation shall be substituted, namely:—

"*Explanation.*—For the purposes of this sub-clause, 'an official of the Reserve Bank' includes an officer of the Reserve Bank who is deputed by that Bank under section 54AA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) to any institution referred to therein."

3. In clause 9 of the said Scheme, in sub-clause (1),—

(a) in the opening paragraph, for the words "for a period of three years", the words "for such term not exceeding three years as the Central Government may specify" shall be substituted;

(b) after the proviso, the following further proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that no such removal shall be made except after giving a reasonable opportunity to the Director of showing cause against the proposed action".

4. In clause 11 of the said Scheme, in sub-clause (5), for the words "for a period of three years", the words "for such term not exceeding three years as the Central Government may specify and shall be eligible for reappointment" shall be substituted.

[No. F.8-9/72-BOI.]

D. N. GHOSH, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1972

एस० ओ० 715(अ).—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (चतुर्थ संशोधन) स्कीम, 1972 होगा।

(2) यह स्कीम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) में, खण्ड 3 में, उपखण्ड (छ) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण :—इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए, 'रिजर्व बैंक का पदाधिकारी' के अन्तर्गत रिजर्व बैंक का ऐसा अधिकारी भी है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 54कक के अधीन उस बैंक द्वारा उसमें निर्दिष्ट किसी संस्था में प्रतिनियुक्त किया गया है।"।

3. उक्त स्कीम के खण्ड 9 में, उपखण्ड (1) में,—

(क) प्रारम्भिक पैरा में, "तीन वर्ष की कालावधि के लिए" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ख) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित और परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि ऐसी कोई हटाये जाने की कार्रवाई, प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का निदेशक को युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं की जायेगी।"।

4. उक्त स्कीम के खण्ड 11 में, उपखण्ड (5) में, "तीन वर्ष की कालावधि के लिए" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० फा० 8-9/72-बो०ओ० I]

डी० एन० घोष, संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972